महत्वपूर्ण

संख्या–1152/XVIII(2)/2010–7(46)/2008

प्रेषक,

भास्करानन्द,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 19 मई, 2010

विषय– वर्ग 4 की भूमि के विनियमितिकरण की अवधि बढाये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–881/XVIII(II)/10–7(46)/2008 दिनांक–20.4.2010 के द्वारा वर्ग 4 की भूमि के विनियमितिकरण की समय सीमा को दिनांक–30.6.2010 तक बढ़ाया गया है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाना है कि वर्ग 4 की भूमि के विनियमितिकरण यह समय सीमा प्रकरण में मूल शासनादेश संख्या–658/18(1)/2006 दिनांक–23.9.2006 के क्रम में बढाया गया है। उक्त शासनादेश दिनांक–23.9.2006 के प्रस्तर 6 में यह उल्लेख किया गया है कि विनियमितिकरण की यह नीति जनपद हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल की तहसील हल्द्वानी, लालकुआँ, रामनगर, कालाढूंगी एवं जनपद चम्पावत की तहसील पूर्णागिरि, जनपद देहरादून की तहसील विकास नगर, देहरादून, ऋषिकेश, जनपद पौडी गढ़वाल की तहसील कोटद्वार एवं जनपद टिहरी गढ़वाल के ढ़ालावाला क्षेत्र की वर्ग 4 की भूमि के लिए ही है। गोंडा बर्मन बनाम भारत सरकार में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के कारण पर्वतीय जनपदो एवं क्षेत्रो मे यह नीति लागू नही की जा रही है।

अतः मूल शासनादेश दिनांक–23.9.2006 के अनुरूप ही वर्ग–4 की भूमि के विनियमितिकरण की समय सीमा की वृद्धि उन्ही तहसीलों/जनपदों में लागू होगी जिनके लिए वर्ष 2006 का शासनादेश निर्गत है। समय सीमा वृद्धि के कुछ शासनादेश त्रृटिवंश सभी जनपदों में परिचालित हो गये है। कृपया तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
अपरसचिव।

666UO LETTERS

पृ0सं0–1152 (1)/XVIII(2)/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड ।
2. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव ,उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, कुमाऊं एवं गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड ।
6. निदेशक ,एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. अधिशासी निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।